

2.2
प्रपत्र-5

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत मोनियॉम्बोल—गुमची—भनार—भूमियागाड़—धार की टोली—सब्जी—भेसखाल—भोलाथल मोटर मार्ग निर्माण।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

शासनादेश की प्रमाणित फोटोप्रति संलग्न है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड लो०नि०वि०
सहायक अभियंता
बागेश्वर
प्रान्तीय खंड लोक निर्माण विभाग
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत
संख्या— 6099 / 111(2) / 16-13(म०म०घ००) / 2016

प्रेषक,

आरविन्द पिंड हयांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

✓ प्राप्त अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
वैहारी बूँद।

लोक निर्माण अनुभाग-2

अधिकारी अधिकारी
प्रियोगी
महोदय,

देहरादून: दिनांक: 18 अगस्त, 2015

वित्तीय वर्ष 2015-16 में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 02 कार्यों की प्रधान चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि छोटीय मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि० उत्तराखण्ड द्वारा मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत संलग्न विवरणानुसार प्रधान चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कशाये गये विभिन्न 02 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लागत ₹ 15.00 किमी० + 01 संतु तथा लागत ₹ 218.10 लाख है, पर विभागीय ₹ १०५०००० द्वारा और विधायिका पाई गई लागत ₹ 210.10 लाख (₹ ३० करोड़ अद्वारा लाख द्वारा हजार रुपये) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्नक के कौलग रा०-५ पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अधीक्षित कुल 02 कार्यों हेतु ₹ 0.20 लाख (₹ ३० रुपये हजार रुपये) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महानहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समर्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समर्थक रूप से पूर्ण किया जायेगा तांत्रिक शासनावेश सं०-१७६४ / 111(2) / 10-17(सामान्य) / 2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरे शैखूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अध्या बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्ग से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रधान चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका सामायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समर्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रधान चरणों/विशिष्टों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।


(v)- आगणन में जिन गतों हेतु जो शाशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी गत में किया जाय, एक गत का दूसरी गत में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरेमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-सामय पर निर्गत समर्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनेजमेंट के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०- 2047 / XIV-210(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गतित कराते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन०पी०वी०, भूमि अधिकारी, यूटिलिटी शिपिटंग आदि मद्दों के साम्बन्ध में क्षायशक व्यय अनुमान सं०-22-लेखापीर्शक-5054 संडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य संडकों- आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/पर्वन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिकारी -00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्यायक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

Photo Copy Attested


Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

--3--

शासनादेश संख्या:- ६०७७ / ११(२) / १५-१३(पुरोधो) / २०१५ विनांक १८ अगस्त, २०१५ का सलग्नक

मा० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई किमी० मे०	(धनराशि लाख रु ग्रे०)	
			कुल स्थीकृत लागत	गालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	गा० पुर्खामंडी घोषणा राख्छा-२८७ / २०१५ के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र-यमुनोदी में बड़कोट में बूला पुल का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	120 mtr	6.00	0.10
2	गा० पुर्खामंडी घोषणा राख्छा-८७२ / २०१४ के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-बागेश्वर के अन्तर्गत मोनियाखोल, गुमची, भनार, भूमियागाड़, धार की टोली, सब्जी, भेसखाल एवं भोलाथल १५ किमी. मोटर गार्फ का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	15.00	212.10	0.10
	गोगे-	15.00 + 01 Brdg	218.10	0.20

(कुल रुपयोग हजार मात्र)

(प०प०पागती)
एप सचिव

Photo Copy Attested
B.D.
Assistant Engineer
P.D.P.W.D Bageshwar